333 / 2 / **555 / वि.स.सर्कुलर /** 2018

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक /04/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता, (समस्त)

....कछार / परियोजना,

जल संसाधन विभाग,

.... (म.प्र.)

विषयः– विधानसभा को दी गई जानकारी / उत्तरों से आश्वासन बनने के संबंध में।

संदर्भः– म.प्र.शासन, संसदीय कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 376 / एफ–1 / 35 / 09 / 1 / 48 भोपाल, दिनांक 21.03.2018

–––000000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। कृपया संलग्न पत्र के साथ नियमावली के अनुबंध–10 में दर्शाये संलग्न शब्दावली के प्रयोग से बचते हुये भविष्य में विधानसभा सत्र के उत्तर / जानकारी पर आश्वासन बनने के संबंध में ध्यान रखते हुये म.प्र. शासन को निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुये कृपया इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (वृहद)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्रमांक 333 / 2 / 555 / वि.स. सर्कुलर / 2018 भोपाल, दिनांक 7 / 04 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, म.प्र. की ओर विभागीय पोर्टल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वैब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक (पाईकू), कक्ष क्रमांक–209, स्वरा भवन, जल संसाधन विभाग, कोलार रोड, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (वृहद)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

F:\NITIN\OFFICE FOLDER\SECTION 333\LETTERS (NITIN)\333-2-KIRAN MADAM\333-2-555-VIDHAN SABHA CIRCULAR DT 05-04-2018.DOCX

मध्यप्रदेश शासन

संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक 3 /(.)/09/ भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
भोपाल।

विषय - विधान सभा को दी गई जानकारी/उत्तरों से आश्वासन बनने के संबंध में।

संसदीय कार्य नियमावली का पद 8.3 निम्नानुसार है -

विभागीय अधिकारी प्रश्नों के उत्तरों की संरचना, प्रश्नों की अन्तर्वस्तु की गहराई से विवेचना करें तो आश्वासनों की व्यापक संख्या में काफी कमी आ सकती है। मंत्रियों को प्रत्येक विषय पर आश्वासन देने में बड़ी सतर्कता बरतना होती है। यदि किसी विषय पर आश्वासन दे दिया जाए तो यथाशीघ्र उसका परिपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अत: अपेक्षा की जाती है कि ऐसे ही मामलों में आश्वासन दिए जाएं जिनकी पूर्ति की जाना संभव हो।"

2. नियमावली के अनुबंध 10 में आश्वासनों के वाक्य तथा रूप की सूची दी गई है। यह शब्दावली उदाहरण स्वरूप है। विधान सभा सचिवालय सदन की दैनिक कार्यवाही में से इसके आधार पर आश्वासनों का नि:स्सारण करता है। अत: विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने वाले उत्तर/जानकारी को तैयार करते समय इस शब्दावली को ध्यान में रखा जाए तो अनावश्यक आश्वासन नहीं बनेंगे।

3. कृपया संलग्न शब्दावली के प्रयोग से बचते हुए विधानसभा को प्रेषणीय उत्तर/जानकारी बनाने हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न -उपरोक्तानुसार।

(वीरा राणा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग (सत्र)
मंत्रालय, भोपाल

(2)

अनुबंध - १०
(पैरा ८.२)

आश्वासनों के वाक्य तथा रूप

१. यह विषय विचाराधीन है ।

२. मैं उसकी छानबीन करूंगा ।

३. पूछताछ की जा रही है।

४. इसका संबंध मुख्यतः केंद्रीय सरकार से है किन्तु मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

५. मैं केन्द्रीय सरकार को लिखूंगा ।

६. मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सब सुझावों पर सावधानी से विचार किया जावेगा ।

७. मैं अपने दौरे के समय मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन करूंगा ।

८. मैं इस पर विचार करूंगा ।

९. मैं केन्द्रीय सरकार को सुझाव दूंगा ।

१०. मैं देखूंगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है ।

११. इस विषय पर कहने के पूर्व मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

१२. सुझाव पर विचार किया जावेगा ।

१३. रियायतें दे दी जायेंगी ।

१४. विधिवत कार्यवाही की जायेगी।

१५. इस संबंध में फैसला शीघ्र ही हो जाएगा ।

१६. आदेश शीघ्र ही पारित किए जावेंगे ।

१७. प्रारम्भिक जांच करवा ली जावेगी।

१८. यह कार्य निकट भविष्य में समाप्त हो जायेगा ।

१९. आवश्यक अनुसंधान किया जावेगा।

२०. इन जरूरतों को शीघ्र पूरा किया जायेगा ।

२१. सरकार इस संबंध में बातचीत करेगी ।

२२. नियम बनाते समय दिये गये सुझावों का ध्यान रखा जायेगा ।

२३. हम इस विषय को एक संकल्प के रूप में रखेंगे ।

२४. सरकार से इस विषय पर पत्र व्यवहार किया जायेगा ।

२५. मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और मुझे विश्वास है कि वह उपयुक्त कदम उठायेगी ।

२६. अंतिम रूप से तैयार हो जाने पर प्रतिवेदन की प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

२७. मैं समझता हूं कि यह किया जा सकता है ।

२८. यदि माननीय सदस्य का अभिकथन सत्य हो तो निःसंदेह मैं इस विषय में छान-बीन करवा दूंगा ।

२९. हमें इसका पता लगाना होगा ।

३०. यह सुझाव कार्यवाही करने के बारे में है, इस पर विचार किया जायेगा ।

३१. जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जावेगी ।

३२. (आय-व्यय पर चर्चा) विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया जायेगा और प्रत्येक सदस्य के पास परिणाम की सूचना दे दी जायेगी ।

३३. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति द्वारा निर्देश जिसके फलस्वरूप मंत्रियों के लिए कार्यवाही करना आवश्यक हो ।

३४. ऐसे सब विशिष्ट मुद्दे जिन पर जानकारी मांगी गई और देने का वचन दिया गया है ।

...

(5)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मंत्रालय / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणी का प्रपत्र

एक–

(क) मंत्रालय / विभाग	–	जल संसाधन विभाग
(ख) विषय / समीक्षा का पैरा / शीर्षक	–	निष्कर्ष और अनुशंसाएं
(ग) पैरा संख्या	–	4.9
(घ) प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	–	आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए (2016 का प्रतिवेदन क्र.–3)

दो–

(क) मंत्रालय में प्रारूप पैराग्राफ / समीक्षा प्राप्त होने की तारीख	–	
(ख) मंत्रालय में उत्तर की तारीख	–	

तीन–

पैरा / समीक्षा का सारांश	–	(1) सॉफ्टवेयर पर किया गया व्यय मॉड्यूलों को विकसित / उपयोग नहीं किये जाने की सीमा तक निष्फल रहा। (2) सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रणाली से संबंधित क्षमता निर्माण में कमी।

चार–

(क) क्या मंत्रालय पैराग्राफ में दिये गये तथ्यों और आंकड़ों से सहमत है?	–	असहमत
(ख) यदि नहीं तो कृपया बतावें किन–किन मुददों पर असहमति है और इनके समर्थन के दस्तावेज भी संलग्न करें।	–	विभागीय उत्तर संलग्न है।

पांच–

(क) लेखा परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष		
1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित विद्यमान प्रणाली में खामियां।	–	कोई नहीं
2. प्रणालियों और प्रक्रिया का अनुसरण करने में विफलता।	–	कोई नहीं
3. व्यक्तिगत रूप से विफलता	–	कोई नहीं
4. घाटा / कम मूल्यांकन / कम उदग्रहण की राशि	–	कोई नहीं
(ख) क्या मंत्रालय लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से सहमत हैं? यदि नहीं तो किन–किन बातों पर असहमति हैं और उन पर असहमत होने के कारण बतायें और जहां आवश्यक हो संगत दस्तावेजों की प्रतिया संलग्न करें।	–	चार ख के अनुसार

23 MAR 2018

C.E.(I.S.)		C.E. (A)
C.E.(N.M.)	2313	C.E.O.
C.E.(P)		S.E. (V)
S.E.(Major)		S.E. (B)
S.E.(W)	Sr.P.A	S.A. (EDP)

E-N.C.

छः– की गई उपचारात्मक कार्यवाही

1. आंतरिक नियंत्रण सहित प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार	–	कोई नहीं

2.	लेखा परीक्षा द्वारा बताये गये अधिक भुगतान की वसूली		कोई नहीं
3.	कम मूल्यांकन, कम उदग्रहण अथवा अन्य बकायों की वसूली	–	कोई नहीं
4.	घाटे की राशियों/फालतू व्यय/अपूरणीय राशि को बट्टे खाते में डालना	–	कोई नहीं
5.	वित्तीय पैटर्न सहित योजना में संशोधन	–	कोई नहीं
6.	लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में एक जैसे मामलों/पूर्ण योजना/ परियोजना की समीक्षा	–	कोई नहीं

उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग